## रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियत्रक का कार्यालय माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002

ई मेल-: <u>ro.ajmer@ibm.gov.in</u>

No RAJ/Pali-45/LST-3



Government of India

Ministry of Mines

Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines.

Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002

Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

Date: 30/9/2016

प्रेषित Agent, M/S Ambuja Cements Ltd.,

P.O.- RAS, Tehsil- Jaitaran,

Distt.- Pali, Rajasthan, Pin Code- 306709

विषय:

राजस्थान राज्य के Pali जिले में स्थित आपकी Ras-II Limestone (M.L. No 2/94)खान

८०३.४२५ हैक्टे में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 38RAJ21001)

महोदय.

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.09.2016 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं। नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- The Mining operations had not been carried out in accordance to the mining plan approved on 30/7/2015 up to the extent as under.
  - 1) As per Part A, Para 1.0 i), page 21, a total of 20 bore holes were proposed to be drilled for converting Probable Category reserves in to proved (111) category, but it was informed that only 11 boreholes had been drilled so far.
  - 2) As per Para 2.0 (b), page 31, the stripping ratio of 1:0.77 had been proposed, but during the Inspection it was observed as 1.11:1, which represents that proporational development of pit is not proper.
- The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis a –vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.
- 27(4) The plans & Sections required under these rules had not been kept updated within three months.
- The dumps had not been secured by constructing retaining wall.
- 42(1)( C) The appointment of mining engineer sh Rajnish Bora had been made with effect from 11/08/2016, but he does not posses the experience of 10 years in supervisory category.
  - 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
    - (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
    - (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
    - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

( एच.सी.शर्मा ) वरि सहायक खान नियंत्रक कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

- मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता, Pali को आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरि सहायक खान नियंत्रक कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो